छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 399/2006

श्री भावीन जैन,
डी–6, आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था,
पचपेढ़ी नाका,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,
तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 25 जनवरी 2007)

श्री भावीन जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अन्तर्गत द्वितीय अपील दिनांक 25–09–2006 को प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर से तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, जिसके अनुसार दिनांक 01–11–2005 से दिनांक 01–03–2006 के बीच आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर के संचालक मण्डल के बैठकों की तारीखें, बैठक बुलाने के लिए जारी सूचना–पत्र एवं एजेण्डा की प्रमाणित प्रति, 1–12–2005 से 01–03–2006 तक संचालक मण्डल के बैठकों का कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति तथा संस्था के कालोनी क्षेत्रों में सड़क कांक्रीटीकरण के लिए लिये गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया, बुलाई गई निविदाएँ तथा समस्त कार्यवाहियां अनुबंध कार्यादेश, देयक स्वीकृत की कार्यवाही आदि के अभिलेखों की प्रति चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 25–04–2006 को 48/– रूपए अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए अपीलार्थी को पत्र जारी किया गया। दिनांक 27–04–2006 को उसे बिन्दु क्रमांक–1, 2 एवं 3 की कार्यालय में उपलब्ध जानकारी पत्र दिनांक 27–04–2006 से दी गई। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11–08–2006 के अंतर्गत आदेश पारित किया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी श्री भावीन जैन एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एस. एल. ध्रुव तथा श्री के.के.रायस्थ, प्रभारी संयुक्त पंजीयक को नोटिस जारी किया गया। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे पूर्ण रूप से वांछित जानकारी प्राप्त नहीं हुई, आधी–अधूरी जानकारी दी गई तथा जानकारी अपूर्ण एवं विलम्ब से देने के

फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि कार्यालय में उपलब्ध सभी जानकारियां अपीलार्थी को दी गई। आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक–3 की जानकारी अध्यक्ष, आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर से मांगी गई जो कि प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं दी गई। अध्यक्ष, आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर के द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को लिखित में यह सूचित किया कि संस्था, शासन से अनुदान प्राप्त संस्था नहीं है तथा राज्य शासन के द्वारा वित्तपोषित नहीं है, अतः अधिनियम की धारा–2(एच)(डी) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी न होने से वह अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं है। तद्नुसार कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के साथ अपीलार्थी को यह भी सूचित किया गया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को पूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान करने के लिए आदेश में उल्लेख किया था, किन्तु उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्रभारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि संस्था को उसके द्वारा जानकारी भेजने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु संस्था ने जानकारी नहीं दी। अतः कार्यालय में उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई। संस्था के अध्यक्ष के विरूद्ध सहकारी संस्था अधिनियम की धारा–56(3) के अंतर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई, जिसके संबंध में संस्था के अध्यक्ष ने पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा प्रभारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के द्वारा जारी नोटिस अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर दिया। अतः जानकारी न देने अथवा विलम्ब से देने के लिए जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ दोषी नहीं है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर से संबंधित 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध जानकारी तैयार कर अभिलेख शुल्क जमा करने के पश्चात् प्रदान की गई। जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी उसे अध्यक्ष, आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर से बुलाया गया, किन्तु उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम संस्था पर प्रभावशील न होने की सूचना देकर जानकारी नहीं दी। अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष ऐसे कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये, जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर राज्य शासन के द्वारा वित्तपोषित है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(एच)(डी) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है। प्रभारी संयुक्त पंजीयक एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की छायाप्रति अपीलार्थी को दे दी गई है। सूचना देने में विलम्ब अध्यक्ष, आम्रपाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर के द्वारा जानकारी न प्रदान करने से हुआ है, अतः यह सिद्ध नहीं होता कि जन सूचना अधिकारी ने, अथवा प्रभारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर ने जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी प्रदान नहीं की है या अपूर्ण जानकारी दी है। अतः इन पर अर्थदण्ड किये जाने का आधार नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा 25–03–2006 के आवेदन के संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पंजीकृत अपील प्रकरण क्रमांक 25/2006 में दिनांक 13–10–2006 को आदेश पारित किया। इसी संदर्भ में पूर्व में भी दि0 11–08–2006 को आदेश पारित किया जा चुका है।

5/ छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम–1960 में प्रावधान है कि गृह निर्माण सहकारी समिति का सदस्य, समिति से संबंधित जानकारी समिति के पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकता है। यदि समिति के पदाधिकारी जानकारी नहीं देते हैं तो उनके विरूद्ध धारा–53(2) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर विचार हो सकता है। पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ऐसी समितियाँ जो कि अपने सदस्यों को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराती है, उनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही पर विचार किया जावे।

6/ अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त